अध्याय - 17

भारत में उद्योगों की स्थिति

हम पढ़ेंगे

17.1 उद्योग से आशय।

17.2 उद्योगों का वर्गीकरण।

17.3 भारत में वृहद, लघु, कुटीर उद्योगों की स्थिति।

17.4 भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व।

17.5 लघु उद्योगों के विकास के लिए किए गये सरकारी प्रयास।

17.1 उद्योगों से आशय

किसी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। उद्योग देश के तीव्र आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। उद्योगों के विकास के बिना कोई देश समृद्ध नही हो सकता।

जब किसी एक जैसी वस्तु या सेवा का उत्पादन अनेक फर्मों के द्वारा किया जाता है तब ये सभी फर्म मिलकर **उद्योग** कहलाते हैं। **जैसे**- लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी सभी सम्मिलित हैं।

'उद्योग' की परिधि में वे समस्त उपक्रम आते हैं जिनमें नियोजकों एवम् नियोजितों के सहयोग से मानवीय आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की सन्तुष्टि के लिये एक व्यवस्थित गतिविधि के रूप में वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन का कार्य सम्पन्न किया जाता है।

17.2 उद्योगों का वर्गीकरण -

उद्योगों का वर्गीकरण

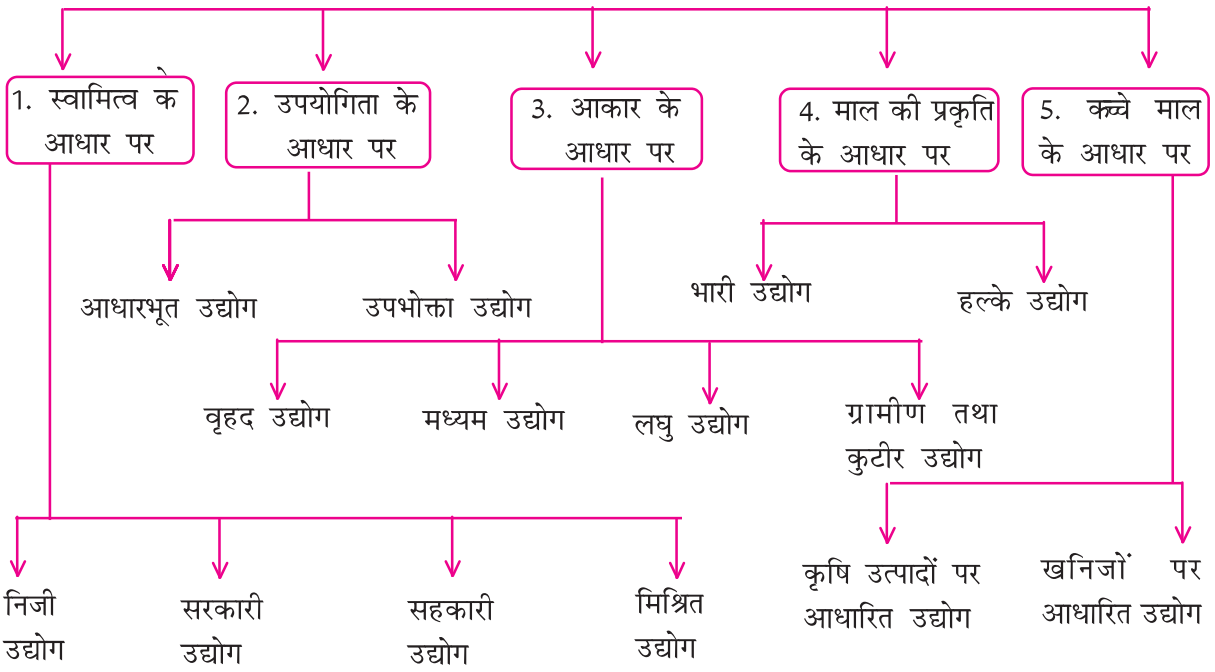

उद्योगों को हम उनके स्वामित्व, उपयोगिता, आकार, माल की प्रकृति एवं कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न भागों में बांट सकते हैं।

इस अध्याय में हम आकार के आधार पर उद्योगों की स्थिति पर चर्चा करेंगे। आकार के आधार पर अर्थात् पूंजी निवेश की मात्रा के आधार पर उद्योगों को तीन भागों में बांट सकते हैं। 1. वृहद उद्योग, 2. लघु उद्योग 3. कुटीर उद्योग।

वृहद उद्योग : जिन औद्योगिक इकाईयों में प्लाण्ट एवं मशीनरी में दस करोड़ रुपये से अधिक तक की पूँजी लगी होती है वे इकाईयाँ वृहद् औद्योगिक इकाईयों की श्रेणी में आती हैं। उदाहरणार्थ टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी

जिन औद्योगिक इकाईयों में प्लांट एवं मशीनरी में पाँच से दस करोड़ रुपये तक की पूँजी लगी होती है वे औद्योगिक इकाईयाँ **मध्यम उद्योगों** की श्रेणी में आती हैं। सेवा क्षेत्र वाली इकाईयों के लिए यह सीमा 5 करोड़ रुपये तक है। उदाहरणार्थ- चमड़ा उद्योग, रेशम उद्योग।

लघु उद्योग : लघु उद्योग की श्रेणी में वे समस्त औद्योगिक इकाईयाँ सम्मिलित की जाती हैं जिनमें प्लाण्ट व मशीनरी में पांच करोड़ रूपये तक की पूँजी लगी है। सेवा क्षेत्र की इकाईयों के लिये यह सीमा 2 करोड़ रूपये तक रखी गयी है। उदाहरणार्थ - लाख उद्योग, काँच उद्योग।

जिन औद्योगिक इकाईयों में प्लाण्ट व मशीनरी में 25 लाख रूपये तक की पूँजी लगी हो, उन्हें **अति लघु उद्योग** की श्रेणी में रखा जाता है। सेवा क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों के लिये यह सीमा 10 लाख रूपये तक है।

कुटीर उद्योग : कुटीर उद्योगों से आशय उन इकाईयों से है जो पूर्णतया परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्ण या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाये जाते हैं। इनमें पूँजी निवेश नाममात्र का होता है तथा उत्पादन प्राय: हाथ से ही होता है। उदाहरणार्थ - बाँस की टोकरी बनाना, हाथी दांत की कारीगरी आदि।

ग्राम उद्योग : कुटीर उद्योग ग्राम और नगर दोनों स्थानों पर चलाये जाते हैं, लेकिन जो कुटीर उद्योग सिर्फ ग्रामों में चलाये जाते हैं, उन्हें 'ग्राम उद्योग' के नाम से जाना जाता है। उदाहरणार्थ - हाथकरघा, खादी उद्योग, रेशम उद्योग।

17.3 भारत में उद्योगों की स्थिति

भारत में वृहद् उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग : यह उद्योग भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग है। देश की प्रथम सूती कपड़ा मिल सन् 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। यह उद्योग भारत का सबसे बड़ा एवं व्यापक उद्योग है। देश के औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 14 प्रतिशत है, जबकि देश की कुल निर्यात आय में इसका हिस्सा 19 प्रतिशत है। आयात में इसका हिस्सा 3 प्रतिशत है। देश की सूती कपड़ा मिलें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में हैं।

इस उद्योग में लगभग 5,000 करोड़ रूपये की पूँजी लगी है। यह उद्योग लगभग 9 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है। सरकार ने कपड़ा आदेश (विकास एवं विनिमय) 1993 के माध्यम से कपड़ा उद्योग को लाइसेन्स मुक्त कर दिया है।

लोह तथा इस्पात उद्योग : भारत लोह व इस्पात उद्योग के लिये अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। आधुनिक ढंग से लोहा बनाने का प्रथम प्रयास सन् 1830 में किया गया जो असफल रहा। इसके पश्चात् इस दिशा में सतत् प्रयास किये जाते रहे। सर्वप्रथम जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में इस्पात कारखाने की स्थापना की। भारत में कुल 10 कारखाने हैं जिसमें से 9 सार्वजनिक क्षेत्र में एवं केवल 1 निजी क्षेत्र में (टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल) में है। सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने- भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, विशाखापट्टनम एवं सलेम हैं।

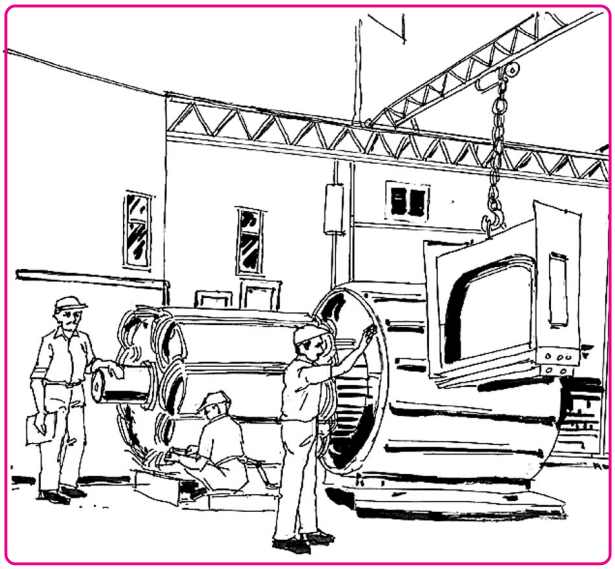

इस समय देश में 196 लघु इस्पात संयंत्र हैं। इनमें से 179 इकाईयां चालू हैं तथा शेष बन्द हैं। वर्तमान में इस उद्योग में 90,000 करोड़ रूपये की पूँजी लगी है तथा इसमें 5 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। सन् 1991 में इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया।

जूट उद्योग : जूट के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। विश्व के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत जूट भारत में पैदा होता है। जूट निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जूट के बोरे, टाट, सुतली, एवं साजो-सामान की अनेक वस्तुयें बनाई जाती हैं। भारत में जूट उद्योग सन् 1855 में प्रारम्भ हुआ।

भारत में जूट की 85 प्रतिशत मिलें **पश्चिम बंगाल** में तथा शेष 15 प्रतिशत **उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, असम तथा उड़ीसा** में हैं। यह उद्योग अपने कुल उत्पादन का 62 प्रतिशत जूट के बोरे के रूप में 20 प्रतिशत टाट के रूप में तथा शेष 18 प्रतिशत अन्य वस्तुओं के रूप में निर्मित करता है।

इस समय में देश में 73 जूट मिल संचालित हैं। इस उद्योग में लगभग 300 करोड़ का निवेश किया हुआ है तथा 2.61 लाख व्यक्तियों को इसमें रोजगार प्राप्त है।

चीनी उद्योग : चीनी उद्योग देश का प्रमुख उद्योग है। यह भारत का प्राचीन उद्योग है। इसका व्यवस्थित विकास 1921 में हुआ, जब इसे सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया इसलिये इसे 'संरक्षण का शिशु' कहा जाता है। देश में चीनी उत्पादन में उत्तरप्रदेश एवं महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण स्थान है।

वर्तमान में चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। 1950-51 में 138 चीनी मिलें थीं, जो वर्तमान में बढ़कर 566 हो गयी हैं। वर्ष 1998 में इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया।

सीमेन्ट उद्योग : भारत में सीमेन्ट उद्योग का प्रारंभ 1912-14 के बीच गुजरात के पोरबंदर व मध्यप्रदेश के कटनी व लाखेरी में सीमेन्ट का उत्पादन प्रारंभ किया गया।

वर्तमान में देश में 128 बड़े सीमेन्ट कारखाने हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 15,209 करोड़ टन है। इसके अलावा देश में 332 लघु सीमेन्ट कारखाने हैं। जिनकी उत्पादन क्षमता 111 लाख टन है। इस उद्योग में लगभग 800 करोड़ रूपये की पूंजी लगी है, एवं लगभग 3 लाख लोगों को राजगार प्राप्त है। वर्तमान समय में भारत,

चीन, रूस, जापान, और अमेरिका के बाद विश्व का पांचवाँ बड़ा सीमेण्ट उत्पादक राष्ट्र है। 1991 में इसे लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया। नीतिगत सुधारों को लागू करने के बाद सीमेन्ट उद्योग ने उत्पादन क्षमता, उत्पादन एवं प्रसंस्करण टेक्नॉलॉजी दोनों ही में तेजी से कदम बढ़ाये हैं।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी : सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से तात्पर्य उस उद्योग से है, जिसमें कम्प्यूटर और उसके सहायक उपकरणों की सहायता से ज्ञान का प्रसार किया जाता है। इसके अंतर्गत कम्प्यूटर, संचार, प्रौद्योगिकी और संबंधित साफ्टवेयर को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत उस सम्पूर्ण व्यवस्था को शामिल किया जाता है, जिसके द्वारा संचार माध्यम और उपकरणों की सहायता से सूचना पहुँचाई जाती है। यह ज्ञान आधारित उद्योग है।

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास हाल ही में हुआ है, परंतु यह भारत में तेजी से विकसित हो रहा है, परंतु विकसित देशों की बराबरी करने के लिये अभी काफी प्रयासों की आवश्यकता है। भारत में इस उद्योग का विकास 1994 की अंतर्राष्ट्रीय संधि के पश्चात हुआ। इस उद्योग द्वारा 1994–95 में 6345 करोड़ रूपये की आय प्राप्त हुई जो 2002–03 में बढ़कर 79,337 करोड़ रूपये हो गयी। इससे ज्ञात होता है कि यह उद्योग भारत का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ उद्योग है।

भारत में लघु उद्योग

कागज उद्योग : भारत में हाथ से कागज बनाने की कला का विकास प्राचीन समय से विकसित है। आधुनिक ढंग का पहला कारखाना 1870 में कोलकाता के निकट बाली नामक स्थान पर लगाया गया। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में कागज के कई कारखाने हैं जिनमें प्रमुख है– नेशनल न्यूज प्रिण्ट एण्ड पेपर मिल लिमिटेड (नेपानगर, म.प्र.) तथा सिक्योरिटी पेपर मिल (होशंगाबाद, म.प्र.)। इस समय देश में कागज कारखानों की संख्या लगभग 515 है। देश में कागज का उत्पादन लघु, मध्यम एवं वृहद सभी प्रकार की इकाईयों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कुल उत्पादन में लघु और मध्यम इकाईयों का योगदान 50 प्रतिशत है। देश में इस उद्योग में लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। विश्व में कागज उत्पादन में भारत का स्थान 20वां है।

भारत में कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, तथा केरल हैं।

चमड़ा उद्योग : यह उद्योग भारत के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। यह एक पारम्परिक उद्योग है। चमड़े से कई प्रकार की वस्तुयें जैसे कोट, जर्सी, पर्स, बटुए, थैले, खेल का सामान, खिलौने, कनटोप, बेल्ट, दस्ताने, जूते व चप्पल आदि बनाये जाते हैं। देश में चमड़े की वस्तुओं का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु, कोलकाता, कानपुर, मुम्बई, औरंगाबाद, कोल्हापुर, देवास, जालंधर और आगरा में होता है। चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन का 75 प्रतिशत भाग लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित किया जाता है।

भारत में चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद देश के सर्वाधिक निर्यात वाले दस उत्पादों की सूची में शामिल है। वर्ष 2003–04 के दौरान देश के चमड़ा उद्योग द्वारा 2.1 अरब अमेरिकी डालर की निर्यात आय प्राप्त की गई। चमड़ा उत्पादन क्षेत्र में ज्यादातर अल्पसंख्यक और गरीब लोगों को रोजगार प्राप्त है। रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में 30 प्रतिशत महिलायें हैं। अनुमान है कि विश्व के चमड़े की कुल आपूर्ति का 10 प्रतिशत चमड़ा भारत में तैयार होता है।

भारत में कुटीर उद्योग

काँच उद्योग : काँच उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है, किन्तु देश में आधुनिक ढंग से विकसित काँच

उद्योग की शुरूआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही संभव हो सकी। वर्तमान में इस उद्योग में आधुनिक एवं नवीनतम तकनीकों से काँच का उत्पादन किया जा रहा है। देश में इस समय काँच के 56 बड़े कारखानों में से 15 ऐसे आधुनिक कारखाने हैं, जो उत्तम किस्म के काँच का सामान पूर्णत: मशीनों की सहायता से करते हैं।

कुटीर उद्योग के रूप में यह उद्योग प्रमुख रूप से फिरोजाबाद व वेलगांव में केन्द्रित है। फिरोजाबाद मे काँच के 225 से भी अधिक छोटे-बड़े कारखाने हैं जहाँ काँच की विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ऐटा, शिकोहाबाद, फतेहाबाद व हाथरस में भी यह उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में संचालित है। जबकि आधुनिक उद्योग के रूप में यह **उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्यप्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, व उड़ीसा** में केन्द्रित है। देश में काँच बनाने के सर्वाधिक कारखाने **पश्चिम बंगाल** में हैं।

भारत में निर्मित काँच से बनी वस्तुओं का निर्यात पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, कुवैत, ईरान, ईराक, सऊदी अरब, बर्मा व मलेशिया आदि देशों को किया जाता है।

रेशम उद्योग : आदिकाल से ही रेशम उद्योग भारत का प्रमुख उद्योग रहा है। वर्तमान में विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व के कुल उत्पादन का 17 प्रतिशत रेशम भारत में उत्पन्न होता है।

भारत में असली रेशम उत्पादन के चार प्रमुख क्षेत्र हैं (1) कश्मीर घाटी (2) पूर्वी कर्नाटक व तमिलनाडु के पठारी व पहाड़ी क्षेत्र (3) पश्चिमी बंगाल का हुगली क्षेत्र (4) असम का पर्वतीय भू-भाग।

इस उद्योग में 58 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सन् 1949 में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की गई।

लाख उद्योग : भारत लाख का प्रमुख उत्पादक देश है। सन् 1950 से पहले केवल भारत में ही लाख साफ की जाती थी, परन्तु अब थाईलैण्ड में भी यह काम होता है। इसका भारतीय लाख उद्योग पर प्रभाव पड़ा है। पहले विश्व की 85 प्रतिशत लाख भारत तैयार करता था, जो वर्तमान में घटकर 50 प्रतिशत रह गया है।

भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन **छोटा नागपुर पठार** में होता है। यहां देश का 50 प्रतिशत उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त **छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात व उत्तरप्रदेश का मिर्जापुर** जिला लाख के प्रमुख उत्पादक केन्द्र हैं।

सन् 1969-70 में देश में लाख का उत्पादन 5,740 टन था, जो वर्ष 2000-2001 में 80000 टन हो गया।

भारत की लाख के प्रमुख ग्राहक चीन, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन हैं। इसके अलावा जर्मनी, ब्राजील, इटली फ्रांस तथा जापान भी महत्वपूर्ण ग्राहक हैं। इस उद्योग से देश में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार प्राप्त है। साथ ही 60 से 70 लाख जनजातीय लोग, लाख के कीड़े पालने व उससे रस निकालने का कार्य करते हैं।

17.4 लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व बहुत अधिक है। ये उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के अनुकूल है। इनमें कम पूंजी से उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं और मानवीय श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण मानव श्रम अधिक है, और गरीबी होने के कारण पूंजी की भी कमी होती है। इसी कारण ये भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। यह निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है-

1. **ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल :** भारत की लगभग 58.4 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषकों को पूरे वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता है। अत: लघु उद्योग उनके लिए महत्वपूर्ण है

और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल हैं।

2. **बेरोजगारी में कमी :** ये लघु उद्योग कम पूंजी निवेश केद्वारा अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करके बेरोजगारी दूर करते हैं।
3. **आय की विषमता को दूर करने में सहायक:** लघु उद्योगों का स्वामित्व लाखों व्यक्तियों व परिवारों के हाथ में होता है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण नहीं हो पाता है तथा आय के समान वितरण में भी सहायता मिलती है।
4. **व्यक्तिगत कला का विकास:** लघु उद्योग व्यक्तिगत कला का विकास करने में सहायक होते हैं।
5. **कृषि पर जनसंख्या के दबाव में कमी:** भारत में कृषि पर पहले से ही जनसंख्या का बड़ा भाग आश्रित है, और बढ़ती हुई जनसंख्या कृषि पर और दबाव डालती है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास कर दिया जाता है तो कृषि पर जनसंख्या का भार कम हो जायेगा जो कि देश हित में होगा।
6. **औद्योगिक विकेन्द्रीकरण में सहायक:** लघु उद्योगों से देश में उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में सहायता मिलती है। बड़े उद्योग तो कुछ विशेष बातों के कारण एक ही स्थान पर केन्द्रित हो जाते हैं, लेकिन लघु उद्योग तो गाँवों व कस्बों में होते हैं।
7. **कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता:** लघु उद्योगों की स्थापना में कम पूंजी के साथ-साथ कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों को कम प्रशिक्षण देकर भी काम चलाया जा सकता है। इस प्रकार यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम है।
8. **शीघ्र उत्पादन उद्योग:** इन उद्योगों की स्थापना के कुछ समय बाद ही उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है इसीलिए उनको शीघ्र उत्पादन उद्योग कहते हैं। भारत में वस्तुओं की सामान्य कमी बनी रहती है जिसको दूर करने में यह अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
9. **विदेशी मुद्रा की प्राप्ति:** लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ रहा है जो देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता दे रहा है। वर्तमान में लघु उद्योगों की वस्तुओं का देश के कुल निर्यात में 35 प्रतिशत हिस्सा है।
10. **आयात पर कम निर्भरता:** बड़े उद्योग स्थापित करने में कभी, तकनीक के लिए, तो कभी मशीनों के लिए, तो कभी कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है और उनको आयात करना पड़ता है। लघु उद्योगों में ऐसी कोई बात नहीं है न तो मशीनें आयात करनी पड़ती हैं और न तकनीक और न कच्चा माल। इस प्रकार आयात पर निर्भरता कम हो जाती है।
11. **बड़े उद्योगों के लिए सहायक या पूरक:** लघु उद्योग व बड़े उद्योगों के लिए सहायक या पूरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अर्ध-निर्मित माल लघु उद्योग बना सकते हैं जिनका उपयोग बड़े उद्योग निर्मित माल के रूप में करने के लिए कर सकते हैं।
12. **स्थानीय साधनों का प्रयोग:** लघु उद्योग स्थानीय साधनों का उपयोग करते हैं। ये उद्योग ग्रामीणों व छोटे व्यक्तियों को उद्यमी बनाने तथा ग्रामीण बचतों को विनियोजित करने में सहायक होते हैं।

भारत में लघु उद्योगों का योगदान कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 10 प्रतिशत, कुल औद्योगिक उत्पादन में 39 प्रतिशत, रोजगार में 32 प्रतिशत व देश के निर्यात में 35 प्रतिशत है। लघु उद्योगों के महत्व के कारण ही इन्हें औद्योगिक नीतियों में मुख्य स्थान दिया गया है। लघु उद्योगों के लिए 590 वस्तुओं का उत्पादन सुरक्षित है।

17.5 लघु उद्योगों के विकास के लिए किए गए सरकारी प्रयास

1. **बोर्डों एवं निगमों की स्थापना–** लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और उनके विकास के लिये सरकार ने समय-समय पर विभिन्न बोर्डों एवं निगमों की स्थापना की है, जैसे- अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भारतीय दस्तकारी विकास निगम आदि।
2. **भारतीय लघु उद्योग परिषद की स्थापना–** इस परिषद में लघु उद्योग विकास निगम, राष्ट्रीयकृत बैंक, प्रांतीय वित्त निगम व अन्य वाणिज्य बैंक सदस्य हैं।
3. **वित्तीय सहायता–** लघु उद्योगों को निम्न संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य वित्त निगम, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक व राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंकों के द्वारा लघु उद्योगों को ऋण सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकारें भी सरकारी सहायता उद्योग अधिनियम के अंतर्गत अपने-अपने क्षेत्रों में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं।
4. **तकनीकी सहायता–** लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गयी है। इन सेवाओं के अंतर्गत भारतीयों को विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है तथा विदेशी विशेषज्ञों को भी भारत में प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
5. **करों में छूट–** लघु उद्योगों को करों में छूट दी जाती है। इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन कर या इसी प्रकार के अन्य कर नहीं लगाये जाते हैं और यदि कहीं उन करों को लगाना आवश्यक होता है तो केवल नाममात्र के लिए ही लगाये जाते हैं। करों में छूट देने के अतिरिक्त परिवहन व्ययों में भी इनको रियायत दी जाती है।
6. **विपणन सुविधाएँ–** लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के विपणन में सरकार द्वारा भारी सहायता दी जाती है। केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारों तथा विशिष्ट निगमों द्वारा लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए स्थान-स्थान पर एम्पोरियम या शोरूम खोले जाते हैं। इसके साथ ही प्रान्तीय सरकारों की सहायता से बड़ी-बड़ी विपणन समितियाँ व संघ भी बनाये गये हैं जो लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं।
7. **लाइसेंस में छूट–** लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ वस्तुओं के उत्पादन में लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं रखी गई हैं।
8. **सरकारी खरीद में प्राथमिकता–** सरकार द्वारा लघु उद्योगों की वस्तुओं को अपने विभागों के उपयोग के लिए क्रय करने में प्राथमिकता दी जाती है तथा कुछ वस्तुओं का क्रय तो पूर्ण रूप से उद्योगों से ही किया जाता है।
9. **प्रदर्शनियों का आयोजन–** जनता को लघु उद्योगों की वस्तुओं के बारे में जानकारी देने के लिए स्वयं सरकार द्वारा स्थान-स्थान व समय-समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसी प्रदर्शनियों को आयोजित करने वालों को भी सहायता प्रदान की जाती है।
10. **अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना–** लघु उद्योगों से संबंधित वस्तुओं के लिए कई अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनसे उन वस्तुओं के संबंध में अनुसंधान होता है।
11. **राष्ट्रीय समता कोष–** केन्द्रीय सरकार ने एक कोष स्थापित किया है, जिसमें 5 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार

द्वारा व 5 करोड़ रूपये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिये गये हैं। इस कोष का प्रबंध भारतीय औद्योगिक विकास बैंक करती है, जो छोटे एवं लघु उद्योग को 75 हजार रूपये तक Soft Loan के रूप में Seed Capital के लिए देती है, लेकिन इकाई लघु उद्योग के रूप में उद्योग निदेशालय में पंजीकृत होनी चाहिए।

12. **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना-** इस बैंक की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहयोगी संस्था के रूप में की गयी। इसकी पूंजी 450 करोड़ रूपये है तथा इसका मुख्य कार्य लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसके कार्यालय विभिन्न राज्यों में खोले गए हैं।

13. **भुगतान में देरी होने पर ब्याज-** भारत सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी करके यह व्यवस्था की गई है कि यदि खरीददार लघु औद्योगिक इकाई से खरीदे गये माल का भुगतान करने में विलम्ब करता है, तो उसे भुगतान में देरी के लिए ब्याज की अदायगी करनी होगी।

14. **लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना-** छोटे व्यापारियों, दस्तकारों, उद्यमियों आदि को सहज साख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2002-03 से यह योजना लागू की गई है।

15. **लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण में सुधार-** लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित है:-

- कम्पोजिट ऋण सीमा को 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये कर दिया गया है। कम्पोजिट ऋण में संयंत्र व मशीनरी के साथ-साथ कार्यशील पूंजी के लिए भी ऋण दिया जाता है।
- 5 लाख रूपये तक के ऋणों के लिए समानान्तर जमानत की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह की मॉनिटरिंग के लिए एक समिति गठित की है।

16. **सिले-सिलाए वस्त्रों पर से प्रतिबंध हटाना-** इसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता के प्रति जागरूकता, उत्पादों में विविधता, निर्यातों में वृद्धि और नवीनतम मार्केटिंग संबंधी नीतियों में वृद्धि सहित रोजगार के अवसरों को अधिकतम बढ़ाकर इस क्षेत्र को सहायता प्रदान की जाती है।

17. **एकीकृत ढाँचागत विकास केन्द्रों की स्थापना-** इस योजना के अंतर्गत एक औद्योगिक परिसर में विकसित स्थान, बिजली, पानी, दूर-संचार निकासी व्यवस्था जैसी आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ बैंक, कच्चा माल, भण्डारण, विपणन, प्रौद्योगिकी तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

कुटीर उद्योग : वह उद्योग जो अंशत: पारिवारिक सदस्यों द्वारा आंशिक अथवा पूर्णकालिक कार्य के रूप में चलाया जाता है।

निजी क्षेत्र : जिसमें आर्थिक संसाधन पर निजी नियंत्रण होता है तथा निजी लाभ के उद्देश्य से ही इनका उपयोग किया जाता है।

विकासशील देश : ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था विकसित देशों की तुलना में कम विकसित हो।

अभ्यास

सही विकल्प चुनकर लिखिए :

1. लघु औद्योगिक इकाईयों की अधिकतम विनियोग सीमा है –
   (i) 1 करोड़ रूपये (ii) 5 करोड़ रूपये
   (iii) 3 करोड़ रूपये (iv) 7 करोड़ रूपये
2. विश्व में कुल जूट उत्पादन का भारत में पैदा होता है –
   (i) 25 प्रतिशत (ii) 10 प्रतिशत
   (iii) 150 प्रतिशत (iv) 35 प्रतिशत
3. इनमें से किस का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी से है –
   (i) मोटर कार (ii) सुन्दर कपड़े
   (iii) कम्प्यूटर (iv) सोना चांदी

अतिलघुउत्तरीय प्रश्न :

1. भारत से काँच निर्मित वस्तुओं का निर्यात किन देशों को किया जाता हैं?
2. भारत में असली रेशम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं?
3. भारत में उत्पादित लाख के प्रमुख ग्राहक देश कौन से हैं?
4. कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं?
5. देश में स्थापित सीमेण्ट कारखानों की उत्पादन क्षमता कितनी है?
6. भारत में रेशम उत्पादन की दृष्टि से कौन से राज्य महत्वपूर्ण हैं?

लघुउत्तरीय प्रश्न :

1. भारत में विभिन्न उद्योगों को किन-किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? समझाइए।
2. भारत के प्रमुख कुटीर उद्योगों की स्थिति का विवरण दीजिए।
3. भारत में चर्म उद्योग में किन वस्तुओं का निर्माण होता है?
4. भारत में कागज उद्योग की स्थिति समझाइए।
5. भारत के काँच उद्योग पर टिप्पणी लिखिए।
6. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारत का सबसे तेज बढ़ता हुआ उद्योग है? समझाइए।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न :

1. भारत के वृहद उद्योगों की स्थिति का वर्णन कीजिए।
2. लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किए हैं? लिखिए।
3. लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व लिखिए।
4. टिप्पणी लिखिए –
   क. चमड़ा उद्योग। ख. लोहा इस्पात उद्योग।
   ग. सूती वस्त्र उद्योग। घ. सूचना एवं प्रौद्योगिकी।